



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102024-258011
CG-DL-E-17102024-258011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2024/आश्विन 23, 1946

No. 584]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ASVINA 23, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि. 640(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 28 जनवरी, 2022 की अधिसूचना सा.का.नि सं.53 (असा.) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा, मुख्य प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण रेलवे के स्थान पर प्रधान मुख्य प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण रेलवे को तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(ग)(ii) के तहत चैन्ने पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में रेल मंत्रालय के सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2024

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No.53 (E) dated 28th January, 2022, the Central Government hereby appoints Principal Chief Operations Manager, Southern Railway, in place of Chief Operations Manager, Southern Railway, as a representative of Member from Ministry of Railways on the Board of Chennai Port Authority under Section 3(1)(c)(ii) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F.No. . LB-11013/1/2021-Labour-Part(1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.